

मेसर्स बी.एस.ई.एस. लिमिटेड (अब रिलायंस एनर्जी लिमिटेड)

बनाम

मेसर्स फेनर इंडिया लिमिटेड एवं अन्य।

3 फरवरी, 2006

[एच.के. सेमा और बी.एन. श्रीकृष्ण, न्यायमूर्तिगण]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 9 - अपीलकर्ता और उत्तरदाता द्वारा एक एकीकृत समन्वयकारी समझौते में प्रवेश करना, जिसके तहत उत्तरदाता अपने चार अनुबंधों को 'टर्नकी' आधार पर निष्पादित करने के लिए सहमत हुआ - उत्तरदाता ने समझौते के अनुसार अपीलकर्ता को चार बिना शर्त और अपरिवर्तनीय बैंक गारंटियाँ प्रस्तुत कीं - संविदात्मक दायित्वों के अ-पालन के लिए अपीलकर्ता द्वारा बैंक गारंटियों को भुनाया जाना - उत्तरदाता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर करना जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई कि अपीलकर्ता बैंक गारंटियों को आहूत करने का हकदार नहीं था और अपीलकर्ता को बैंक गारंटियों को भुनाने से रोकने के लिए अन्तरिम व्यादेश की मांग की गई - विचारण न्यायालय ने अन्तरिम व्यादेश देने से इनकार कर दिया - उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता की अपील को स्वीकार कर लिया और अन्तरिम व्यादेश प्रदान किया - इसकी शुद्धता - अभिनिर्धारित: बैंक गारंटी का हितग्राही यह निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश है कि बैंक गारंटी को कब और किस कारण से भुनाया जाना चाहिए - यह बैंक या न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह अनुबंध के उचित निष्पादन की जांच करे - तथ्यों के आधार पर, समझौते के तहत, अपीलकर्ता को चार अनुबंधों की किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिए किसी भी या सभी बैंक गारंटियों को भुनाने का अधिकार था।

अपीलकर्ता को एक स्व-उपयोग हेतु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का एक अनुबंध प्रदान किया गया था। अपीलकर्ता ने 4 कार्य आदेश जारी करके कार्य का एक भाग प्रथम उत्तरदाता को प्रदान किया। समझौते के अनुसार, प्रथम उत्तरदाता ने द्वितीय उत्तरदाता-बैंक से 4 बिना शर्त और अपरिवर्तनीय बैंक गारंटियां अपीलकर्ता को प्रस्तुत कीं और प्रथम उत्तरदाता ने एक एकीकृत समन्वयकारी समझौते में प्रवेश किया जिसके तहत यह सहमति हुई कि प्रथम उत्तरदाता अपने संविदात्मक दायित्वों को टर्नकी आधार पर निष्पादित करेगा।

अपीलकर्ता ने चार बैंक गारंटियों को आहूत किया। प्रथम उत्तरदाता ने निर्माण अनुबंध में दिए गए मध्यस्थता खंड को आहूत किया। प्रथम उत्तरदाता ने विचारण न्यायालय के

समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की ताकि यह घोषणा की जा सके कि अपीलकर्ता चार बैंक गारंटियों को आहूत करने का हकदार नहीं था। प्रथम उत्तरदाता ने मध्यस्थता कार्यवाही के निस्तारण लंबित रहने तक अपीलकर्ता को बैंक गारंटियों के तहत किसी भी राशि को भुनाने या प्राप्त करने से रोकने के लिए अन्तरिम व्यादेश की भी मांग की। विचारण न्यायालय ने प्रथम उत्तरदाता की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ बैंक गारंटियों के प्रवर्तन से अपूरणीय अन्याय होगा और न ही यह ऐसा मामला है जहाँ धोखाधड़ी का कोई मजबूत प्रथमदृष्टया मामला बनाया गया हो। हालांकि, विचारण न्यायालय ने प्रथम उत्तरदाता के अधिकारों की रक्षा करने की दृष्टि से अपीलकर्ता को एक महीने की अवधि के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जिसके भीतर मध्यस्थता कार्यवाही का निस्तारण किया जाएगा। प्रथम उत्तरदाता ने विचारण न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और अन्तरिम व्यादेश प्रदान कर दिया।

न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि बैंक बिना शर्त और अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी का सम्मान करने के लिए बाध्य है, चाहे हितग्राही और उस पक्ष के बीच कोई भी विवाद हो जिसके कहने पर बैंक ने गारंटी दी है।

प्रथम उत्तरदाता ने तर्क दिया कि, अनुबंध के अनुसार, कार्य आदेशों को पूरा करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा उसे दिए गए अग्रिमों को अपीलकर्ता द्वारा उसके द्वारा जारी किए गए चालू बिलों से पूरी तरह से वसूल कर लिया गया था और इसलिए अपीलकर्ता द्वारा बैंक गारंटियों को भुनाना, जो अग्रिम भुगतानों को सुरक्षित करने के लिए दी गई थीं, धोखाधड़ी का कार्य था या इससे उसके पक्ष में विशेष साम्य की स्थिति उत्पन्न हुई; और यह कि बैंक गारंटियों में से एक का उद्देश्य अनुबंध के उचित और निष्ठापूर्ण निष्पादन को सुरक्षित करना था और चूंकि निष्पादन विधिवत रूप से संतुष्ट हो गया था, इसलिए बैंक गारंटी को आहूत करने का कोई आधार नहीं था।

अपील को अनुज्ञात करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. बैंक गारंटियाँ केवल प्रथम उत्तरदाता को भुगतान किए गए

अग्रिम के विरुद्ध प्रतिभूति के उद्देश्य से नहीं दी गई थीं। 'रैप अराउंड' समझौते के तहत, अपीलकर्ता को चार अनुबंधों की किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिए किसी भी या सभी गारंटियों को भुनाने का अधिकार था। उत्तरदाता का यह तर्क स्वीकार नहीं किया गया कि पहली तीन बैंक गारंटियाँ केवल भुगतान किए गए अग्रिमों को सुरक्षित करने के लिए थीं और केवल चौथी बैंक गारंटी ही अनुबंध के पालन में विफलता के लिए बुलाई जा सकती थी। अनुबंध की शर्तों के मूल्यांकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि बैंक गारंटियों का उद्देश्य प्रथम उत्तरदाता को भुगतान किए गए अग्रिमों को सुरक्षित करना और अनुबंध के निष्पादन को सुरक्षित करना था। [57-D-E-F]

1.2. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के परीक्षण पर, यह न्यायालय *प्रथमदृष्ट्या* इस बात से संतुष्ट नहीं है कि निष्पादन को विधिवत और संतोषजनक ढंग से प्रमाणित किया गया था। अपीलकर्ता का मामला यह है कि अनुबंध का कोई संतोषजनक निष्पादन नहीं हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता संबंधित बैंक गारंटी को भुनाने में न्यायसंगत था। यह द्वितीय उत्तरदाता बैंक का और न ही इस न्यायालय का कार्य है कि वह यह जांच करे कि क्या उचित निष्पादन वास्तव में हुआ था, जब गारंटी की शर्तों के तहत, द्वितीय उत्तरदाता बैंक भुगतान करने के लिए बाध्य था जब गारंटी बुलाई गई थी, चाहे अपीलकर्ता और प्रथम उत्तरदाता के बीच कोई भी संविदात्मक विवाद हो। [58-G; 59-A, B]

1.3. स्पष्ट रूप से यहाँ कोई "घोर धोखाधड़ी" नहीं है। चूंकि अपीलकर्ता को बैंक गारंटियों को भुनाने से रोकने के लिए स्थायी व्यादेश की इसी तरह की प्रार्थना मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष लंबित है, इसलिए यदि वर्तमान समय में अपीलकर्ता को बैंक गारंटियों को भुनाने की अनुमति दी जाती है तो "अपूरणीय अन्याय" की कोई स्थिति नहीं है। न ही यह न्यायालय प्रथम उत्तरदाता के पक्ष में कोई विशेष साम्य देखता है जब वास्तव में इस बात पर विवाद है कि निष्पादन *प्रथमदृष्ट्या* संतोषजनक नहीं था, जिसने अपीलकर्ता को चारों बैंक गारंटियों में से सभी या किसी को भी भुनाने में सक्षम बनाया। अपीलकर्ता बैंक गारंटियों को भुनाने का हकदार है और द्वितीय उत्तरदाता-बैंक अपनी गारंटियों का सम्मान करने के लिए स्वतंत्र होगा, जो मध्यस्थता कार्यवाही में समायोजन के अधीन होगा। [60-A, C, D]

यू.पी. को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड बनाम सिंह कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स (पी) लिमिटेड, [1988] 1 एस.सी.सी. 174; यू.पी. स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन बनाम सुमैक इंटरनेशनल लिमिटेड, [1997] 1 एस.सी.सी. 568; महाराष्ट्र राज्य बनाम नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी,

बॉम्बे, (1996) 1 एस.सी.सी. 735; यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बनाम बैंक ऑफ इंडिया, (1981) 2 एस.सी.सी. 766; सेंटेक्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम विनमार इम्पेक्स इंक, [1986] 4 एस.सी.सी. 136; हरियाणा राज्य बनाम कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, [2002] 10 एस.सी.सी. 508 और जनरल इलेक्ट्रिक टेक्निकल सर्विसेज कंपनी इंक बनाम पुंज संस (पी) लिमिटेड, [1991] 4 एस.सी.सी. 230, संदर्भित।

टी.टी.आई. टीम टेलीकॉम लिमिटेड बनाम हचिसन 3 जी यूके लिमिटेड, (2003) ई डब्ल्यूएचसी 762 (टीसीसी): (2003) 1 सभी ईआर (कॉम) 914; एलियन एंड रब्बात (एलियन एंड रब्बात के रूप में व्यापार करते हुए) बनाम मस्टास एंड मस्टास, इत्यादि, (1966) 2 लॉयड के प्रतिनिधि। 495 और सैमवोह डामर प्रीमिक्स पीटीई लिमिटेड बनाम सम चेओंग प्लिंग पीटीई लिमिटेड, (2002) 1 एसएलआर 1, संदर्भित।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 की दीवानी अपील संख्या 955।

मद्रास उच्च न्यायालय के 2004 की सी.एम.ए. (एन.पी.डी.) संख्या 1239 में पारित दिनांक 30.7.2004 के निर्णय और आदेश से।

मुकुल रोहतगी, के.आर. ससिप्रभु, सुश्री मनाली सिंघल, मुस्तफा आलम और अर्देन्दु ठाकुर अपीलकर्ता के लिए।

सोली जे. सोराबजी, राजू रामचंद्रन, आर. वीर राघवन, सुब्रमण्यम प्रसाद, राघवेंद्र एस. श्रीवास्तव, पी. कपूर और वी.जी. प्रगासम उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण द्वारा सुनाया गया। अनुमति प्रदान की गई।

यह हितग्राही के विरुद्ध अपनी बैंक गारंटी के तहत अधिकारों को प्रवर्तित करने की मांग करने वाले व्यादेश का एक और उदाहरण है, यद्यपि एक नए तर्क के साथ कि "सद्भाव का अभाव" या "परोक्ष उद्देश्य के साथ प्रवर्तित करना" हस्तक्षेप के विरुद्ध सामान्य नियम के अन्य अपवाद गठित करते हैं।

तथ्य

मेसर्स गोदावरी शुगर्स लिमिटेड ने मेसर्स बी.एस.ई.एस. लिमिटेड (अब रिलायंस एनर्जी लिमिटेड) (इसके बाद "अपीलकर्ता") को एक 'कैप्टिव पावर प्लांट' के लिए अनुबंध प्रदान किया। अपीलकर्ता ने बदले में उस कार्य का एक हिस्सा मेसर्स फेनर इंडिया लिमिटेड (इसके बाद "प्रथम उत्तरदाता") को प्रदान किया। इसके संबंध में, अपीलकर्ता ने प्रथम उत्तरदाता को चार कार्य आदेश/क्रय आदेश निम्नानुसार जारी किए:

"(i) कार्य आदेश संख्या 2245 दिनांक 15.3.2000/ 4.5.2000, 70,00,000/- रुपये की राशि के लिए।

(ii) कार्य आदेश संख्या 2246 दिनांक 15.3.2000/ 4.5.2000, 5,57,00,000/- रुपये की राशि के लिए।

(iii) कार्य आदेश संख्या 2247 दिनांक 15.3.2000/ 4.5.2000, 90,00,000/- रुपये की राशि के लिए।

(iv) कार्य आदेश संख्या 2248 दिनांक 15.3.2000/ 4.5.2000, 50,00,000/- रुपये की राशि के लिए।....."

उक्त कार्य/क्रय आदेशों के नियमों और शर्तों के अनुसार, प्रथम उत्तरदाता ने भारतीय स्टेट बैंक (इसके बाद "द्वितीय उत्तरदाता-बैंक") से दिनांक 23.3.2000 की चार बैंक गारंटियाँ प्रस्तुत कीं, जिनका नंबर क्रमशः 288/99, 289/99, 290/99 और 291/99 था और जिनकी राशि क्रमशः 7,00,000/- रुपये, 9,00,000/- रुपये, 55,70,000/- रुपये और 38,35,000/- रुपये थी। वे बिना शर्त अपरिवर्तनीय बैंक गारंटियाँ थीं, जिसके तहत द्वितीय उत्तरदाता-बैंक अपीलकर्ता को उसके द्वारा मांगी गई या मांग की गई राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। उसके तहत गारंटीकृत राशियाँ अपीलकर्ता द्वारा लिखित में कोई कारण बताए बिना या कारण के साथ, बिना किसी विरोध या आपत्ति या संतुष्टि के प्रमाण के, और प्रथम उत्तरदाता के संदर्भ के बिना, अपीलकर्ता द्वारा बुलाए जाने पर देय थीं, चाहे अपीलकर्ता और प्रथम उत्तरदाता के बीच उनके संविदात्मक नियमों के संबंध में या उनसे जुड़े किसी भी विवाद के बावजूद। बेशक, वे प्रत्येक बैंक गारंटी में निर्धारित कुल सीमाओं के अधीन थीं।

दिनांक 10.5.2000 को, अपीलकर्ता और प्रथम उत्तरदाता ने एक "रैप-अराउंड समझौता" किया, जिसके तहत यह सहमति बनी कि प्रथम उत्तरदाता अपने संविदात्मक दायित्वों को 'टर्नकी' आधार पर, अर्थात् एक संयुक्त रूप में निष्पादित करेगा। यह सिद्धांत बैंक गारंटियों पर भी लागू किया गया था। इस प्रकार, इस समझौते की कंडिका (4) स्पष्ट रूप से कहती है:

"किसी भी या सभी अनुबंधों के किसी भी सारवान उल्लंघन के मामले में, बी.एस.ई.एस. को सभी अनुबंधों की बैंक गारंटियों की प्रतिधारिता और भुनाने का अधिकार होगा।"

दिनांक 4.12.2003 को, अपीलकर्ता ने चार बैंक गारंटियों को आहूत किया। दिनांक 7.12.2003 को, प्रथम उत्तरदाता ने कार्य/क्रय आदेशों में प्रदान किए गए मध्यस्थता खंड को आहूत किया। दिनांक 8.12.2003 को, प्रथम उत्तरदाता ने मदुरै जिला न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम") की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई कि अपीलकर्ता चार बैंक गारंटियों को आहूत करने का हकदार नहीं था। प्रथम उत्तरदाता ने मध्यस्थता कार्यवाही के निस्तारण लंबित रहने तक अपीलकर्ता को बैंक गारंटियों के तहत किसी भी राशि को भुनाने या प्राप्त करने से रोकने के लिए अन्तरिम व्यादेश की भी मांग की।

दिनांक 22.3.2004 को, विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश, मदुरै ने प्रथम उत्तरदाता की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह ऐसा मामला नहीं था जहाँ बैंक गारंटियों के प्रवर्तन से "अपूरणीय अन्याय" होगा, और न ही यह ऐसा मामला था जहाँ धोखाधड़ी का कोई मजबूत प्रथमदृष्टया मामला बनाया गया हो। इस निष्कर्ष के बावजूद, विद्वान जिला न्यायाधीश ने यह विचार किया कि, हालांकि अपीलकर्ता व्यादेश के आदेश का हकदार नहीं था, फिर भी मध्यस्थता कार्यवाही में मामला निस्तारित होने तक अपीलकर्ता के अधिकारों की रक्षा की जानी होगी। तदनुसार, विद्वान जिला न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को (आदेश की तारीख से) एक महीने की अवधि के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जिसके भीतर मध्यस्थता कार्यवाही का निस्तारण किया जाना था। पक्षकारों को मध्यस्थ के समक्ष अपने उपचार खोजने का निर्देश दिया गया।

अप्रैल 2004 में किसी समय, मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 के तहत एक आवेदन किया गया था। प्रथम उत्तरदाता ने विद्वान जिला

न्यायाधीश के दिनांक 22.3.2004 के आदेश और निर्णय को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। दिनांक 24.5.2004 को, जब मध्यस्थता कार्यवाही लंबित थी, उच्च न्यायालय ने एक अन्तरिम आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 30.7.2004 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रथम उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत अपील को अनुज्ञात किया और प्रार्थना के अनुसार व्यादेश प्रदान किया, और विद्वान जिला न्यायाधीश के आदेश को अपास्त कर दिया।

नियम और उसके अपवाद

अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने आग्रह किया कि इस देश में सुस्थापित कानून यह है कि बैंक गारंटी बैंक और उसके हितग्राही के बीच एक स्वतंत्र अनुबंध है। तदनुसार, हितग्राही और उस पक्ष के बीच किसी भी विवाद के बावजूद, जिसके कहने पर बैंक ने गारंटी दी है, बैंक अपनी गारंटी का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जब तक कि गारंटी बिना शर्त और अपरिवर्तनीय है। हमारा ध्यान इस न्यायालय के *यू.पी. को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड बनाम सिंह कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स (पी) लिमिटेड* (इसके बाद "*यू.पी. को-ऑपरेटिव फेडरेशन*") के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया। उस मामले में यह बताया गया था कि बैंक गारंटी का उसकी शर्तों के अनुसार सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि बैंक, जो गारंटी देता है, उसका आपूर्तिकर्ता और ग्राहक के बीच के संबंधों से कोई सरोकार नहीं है। न ही बैंक का इस प्रश्न से कोई सरोकार है कि उनमें से कोई अपने संविदात्मक दायित्वों में विफल रहा है या नहीं। दूसरे शब्दों में, बैंक को अपनी गारंटी के स्वर के अनुसार, मांग पर, बिना किसी प्रमाण या शर्त के भुगतान करना होगा।

हालाँकि, इस नियम के दो अपवाद हैं। पहला तब है जब कोई स्पष्ट धोखाधड़ी हो जिसकी बैंक को सूचना हो और हितग्राही की ऐसी धोखाधड़ी हो जिससे वह लाभ उठाना चाहता हो। धोखाधड़ी ऐसी घोर प्रकृति की होनी चाहिए जो संपूर्ण अंतर्निहित संव्यवहार को दूषित कर दे। हस्तक्षेप न करने के सामान्य नियम का दूसरा अपवाद तब है जब व्यादेश के पक्ष में "विशेष साम्य" हों, जैसे कि जब व्यादेश न दिए जाने पर "अपूरणीय क्षति" या "अपूरणीय अन्याय" होगा। सामान्य नियम और इसके अपवादों को इस न्यायालय² के कई

1 (1988) 1 एस सी सी 114

2 देखें, उदाहरणार्थ, यू.पी. स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन बनाम सुमैक इंटरनेशनल लिमिटेड, [1997] 1 एस सी सी 568 पृष्ठ संख्या 574-577 पर (कंडिका 12-16), महाराष्ट्र राज्य बनाम नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी, बॉम्बे, [1996] 1 एस सी सी 735*** पृष्ठ संख्या 741 पर (कंडिका 13)। यह भी देखें, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बनाम

निर्णयों में दोहराया गया है, कि यू.पी. स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन बनाम सुमैक इंटरनेशनल लिमिटेड ³ (इसके बाद "यू.पी. स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन") में इस न्यायालय ने सही ढंग से घोषित किया कि कानून "सुस्थापित" था।

श्री सोराबजी ने, हालांकि, नियम के सुस्थापित अपवादों का विस्तार करने का प्रयास किया, पहले, हरियाणा राज्य बनाम कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (इसके बाद "कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड")⁴ में इस न्यायालय के एक आदेश पर भरोसा करके। हमें खेद है कि कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (ऊपर उद्धृत) में संक्षिप्त आदेश उस मामले के संकीर्ण तथ्यों पर दिया गया प्रतीत होता है और यह हम पर बाध्यकारी नज़ीर (precedent) नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला ने बैंक गारंटियों के आह्वान से संबंधित कानून को लंबे समय से सुस्थापित कर दिया है।

द्वितीय, श्री सोराबजी ने कई विदेशी निर्णयों पर भरोसा किया, विशेष रूप से क्वींस बेंच डिवीजन के 'आई.टी.टी. टीम टेलीकॉम लिमिटेड बनाम हचिसन 3 जी यूके लिमिटेड'⁵ के निर्णय पर, जिसमें इंग्लैंड में नियम और इसके अपवादों को खूबसूरती से संक्षेप में प्रस्तुत⁶ किया गया है। श्री सोराबजी ने निम्नलिखित प्रस्तावों पर विशेष बल दिया:

"... (3) विश्वास भंग के तर्क का आधार अन्तरिम अनुतोष के प्रयोजनों के लिए भी स्पष्ट साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। विश्वास का उल्लंघन ऐसी स्थितियों में उत्पन्न हो सकता है जैसे: हितग्राही द्वारा अंतर्निहित अनुबंध के एक आवश्यक तत्व को प्रदान करने में विफलता जिस पर बॉन्ड निर्भर करता है; हितग्राही द्वारा गारंटी का दुरुपयोग उस उद्देश्य के अनुसार कार्य करने में विफल रहने से जिसके लिए यह दी गई थी; अंतर्निहित अनुबंध में प्रतिफल की पूर्ण विफलता; एक अनुचित परोक्ष उद्देश्य के लिए हितग्राही द्वारा दी गई आह्वान की धमकी; या हितग्राही द्वारा एक ईमानदार या सद्भावपूर्ण विश्वास की कमी कि वे परिस्थितियाँ, जैसे कि खराब

बैंक ऑफ इंडिया, (1981) 2 एस सी सी 766 और सेंटैक्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम विनमार इम्पेक्स इंक, [1986] 4 एस सी सी 136।

3 [1997] 1 एस सी सी 568

4 यथोपरि पृष्ठ 574 पर (कंडिका 12), माननीय न्यायमूर्ति सुजाता वी. मनोहर द्वारा।

5 (2002) 10 एस सी सी 508

6 (2003) ई डब्ल्यू एच सी 762 (टी सी सी); (2003) 1 ऑल ई आर (कॉम.) 914। यह भी देखें, एलियन एंड रब्बात (एलियन एंड रब्बात के रूप में व्यापार करते हुए) बनाम मत्सास एंड मत्सास, इत्यादि, (1996) 2 लॉयड्स रेप. 495।

निष्पादन, जिसके विरुद्ध एक निष्पादन बॉन्ड प्रदान किया गया था, वास्तव में मौजूद हैं।

(4) इसके अतिरिक्त, जहाँ यह प्रतीत होता है कि आह्वान एक शून्यता होगी, वहाँ एक न्यायालय उस अमान्य आह्वान को रोकने के लिए हस्तक्षेप करेगा। उदाहरण वे हैं जहाँ आह्वान के लिए पूर्ववर्ती शर्त अभी तक पूरी नहीं हुई है; जहाँ बॉन्ड एक 'सी टू इट' बॉन्ड है जिसके लिए हितग्राही द्वारा हानि के पूर्व प्रमाण या तीसरे पक्ष द्वारा खराब निष्पादन की आवश्यकता होती है जो अभी तक स्थापित नहीं हुआ है; या जहाँ मांग या सहायक दस्तावेज दिखाते हैं कि मांग वैध मांग के लिए बॉन्ड द्वारा थोपी गई आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

(5) अन्यथा, दी गई आह्वान की धमकी को नहीं रोका जाएगा। विशेष रूप से, एक निष्पादन बॉन्ड के कथित रूप से गलत आह्वान को केवल इसलिए नहीं रोका जाएगा क्योंकि अंतर्निहित अनुबंध से उत्पन्न आह्वान का तथ्यात्मक आधार विवादित है। इस प्रकार, क्या अनुबंध का उल्लंघन हुआ है, किसी कारण से अनुबंध का निर्धारण हुआ है, अनुबंध का परित्याग हुआ है या हानि हुई है, इसके बारे में विवाद, जहाँ ये निष्पादन गारंटी द्वारा कवर की गई घटनाएँ हैं, आह्वान को रोकने के लिए आवेदन का आधार नहीं बनने दिया जाएगा जब तक कि ये विवाद हितग्राही द्वारा विश्वास का उल्लंघन प्रकट न करें। बॉन्ड के तहत हितग्राही को दिया गया कोई भी परिणामी भुगतान जो हितग्राही को अधिक प्रतिकर देता है, 'लेखांकन' अभ्यास में वापस प्राप्त किया जा सकता है जिसका दावा तीसरा पक्ष अंतर्निहित अनुबंध के तहत हितग्राही के विरुद्ध बाद की मुकदमेबाजी में कर सकता है।"⁷

श्री सोराबजी ने अंततः तर्क दिया कि सिंगापुर में, जहाँ वाणिज्यिक मामलों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाता है, 'सैमवोह डामर प्रीमिक्स पीटीई लिमिटेड बनाम सम चेओंग पाइलिंग पीटीई लिमिटेड' ⁸में अपील न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि परोक्ष उद्देश्य के लिए निष्पादन गारंटी को बुलाना अनुमत नहीं था। विशेष रूप से, इसे "सौदा करने के मोहरे" के रूप में, "निवारक" के रूप में या "अपमानजनक" तरीके से उपयोग करना, न्यायालय से व्यादेश को आमंत्रित करेगा। ⁹उन्होंने निवेदन किया कि सिंगापुर के न्यायालय ने यहाँ तक कहा है कि बैंक गारंटी का अनुचित आह्वान धोखाधड़ी से स्वतंत्र एक अपवाद था।

7डी.

8(2002) 1 एस एल आर 1

9यथोपरि पृष्ठ 7-8 पर, एल पी थियन, अपील न्यायाधीश द्वारा।

हमें खेद है कि यू.पी. को-ऑपरेटिव फेडरेशन (ऊपर उद्धृत) में संक्षिप्त रूप से निर्धारित और पहले संदर्भित इस न्यायालय के कई निर्णयों में दोहराए गए कानून के सामने, हम श्री सोराबजी द्वारा उद्धृत विदेशी निर्णयों में निर्धारित कानून के व्यापक प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। अन्य क्षेत्राधिकारों में बैंक गारंटियों को भुनाने के संबंध में कानून चाहे जो भी हो, जब भारत में कानून स्पष्ट, सुस्थापित और बिना किसी विचलन के है, तो विदेशी वाद विधि पर भरोसा करने का कोई अवसर नहीं है।

प्रथम उत्तरदाता के तर्क

उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को पढ़ने से पता चलता है कि विद्वान न्यायाधीश बैंक गारंटियों से संबंधित सुस्थापित नियम से परिचित थे, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपीलकर्ता द्वारा बैंक गारंटियों को भुनाना नियम के अपवादों में से एक के तहत मामला प्रस्तुत करेगा, अर्थात् प्रथम उत्तरदाता को "अपूरणीय अन्याय" काररत करेगा।

प्रथम उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के तर्क के इस तरीके का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि बैंक गारंटियाँ अलग-अलग उद्देश्यों के लिए थीं, या तो: (i) अग्रिमों के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए या (ii) निष्पादन को सुरक्षित करने के लिए। जहाँ तक अग्रिम भुगतानों को सुरक्षित करने वाली बैंक गारंटियों का संबंध था, उनका तर्क है कि अनुबंध में एक प्रावधान है कि अग्रिम की राशि किसी भी चालू बिल की कुल स्वीकृत राशि से कटौती करके वसूल की जानी थी। अनुबंध वसूली के दो तरीके निर्धारित करता है: (i) चालू बिल से कुल राशि में से कटौती करके, और (ii) बैंक गारंटी को आहूत करके। श्री सोराबजी ने आगे आग्रह किया कि जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती रूप से यह पाया गया था कि बैंक गारंटी की पूरी राशि प्रथम उत्तरदाता के चालू बिलों से वसूल कर ली गई थी। तदनुसार, उन्होंने तर्क दिया कि, चालू बिलों से अग्रिमों की पूरी राशि वसूल करने के बाद बैंक गारंटी को भुनाना एक "घोर धोखाधड़ी" थी या किसी भी स्थिति में, प्रथम उत्तरदाता के पक्ष में "विशेष साम्य" की स्थिति पैदा करती थी। उनका निवेदन है कि उच्च न्यायालय व्यादेश देने में पूरी तरह से न्यायसंगत था क्योंकि ये तथ्य *प्रथमदृष्टया* विचारणीय मुद्दों के रूप में स्थापित हुए थे।

इसके अलावा, श्री सोराबजी ने निवेदन किया कि चौथी बैंक गारंटी (23.3.2000 की संख्या 291/99) आगे "अनुबंध के उचित और निष्ठापूर्ण निष्पादन" द्वारा योग्य थी, और यह

कि अनुबंध का निष्पादन स्वीकृत रूप से किया गया था। परिस्थितियों में, उनका निवेदन है कि, इस गारंटी को भुनाना थोखाथड़ी पूर्ण था या इसने विशेष साम्य की स्थिति पैदा की, जो यू.पी. को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (ऊपर उद्धृत) के दायरे में आती थी। हालाँकि, श्री सोराबजी के दावों को संविदात्मक खंडों के परीक्षण के साथ-साथ प्रथम उत्तरदाता के आचरण के परीक्षण के माध्यम से गहन संवीक्षा की आवश्यकता है।

संविदात्मक खंड

श्री सोराबजी इस बात में सही हैं कि जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने समवर्ती रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज यह पुष्ट करते हैं कि पूरी गारंटी राशि वसूल कर ली गई थी। हालाँकि, हम श्री सोराबजी के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि बैंक गारंटियाँ केवल प्रथम उत्तरदाता को भुगतान किए गए अग्रिम के विरुद्ध प्रतिभूति के उद्देश्य से दी गई थीं। वास्तव में, श्री रोहतगी अपने इस निवेदन में न्यायसंगत हैं कि अंतिम अनुबंध एक "रैप-अराउंड समझौता" था। दिनांक 10.5.2000 को हस्ताक्षरित समझौते की शर्तें कार्य/क्रय आदेशों के चार अनुबंध समझौतों का संदर्भ देने के बाद यह स्पष्ट करती हैं कि:

".... पक्षकारों के बीच विशेष रूप से यह सहमति हुई है कि ठेकेदार न केवल अनुबंध संख्या I में अपनी आपूर्ति के विस्तार के लिए और अनुबंध संख्या II, III और IV में अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी है, बल्कि उन सभी कार्यों को करने और उनकी देखभाल करने के लिए भी जिम्मेदार है, जिनका हालांकि इन चार अनुबंधों में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसके वास्तविक उद्देश्य और आवश्यकता में संपूर्ण रूप से 'बैगास हैंडलिंग सिस्टम पैकेज' को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, जब तक कि बी.एस.ई.एस. द्वारा अपवर्जन विशेष रूप से सहमत न हों। अनुबंध-III में स्थल पर प्राप्ति के परिणामस्वरूप अनुबंध-I के तहत आपूर्ति किए गए संयंत्र और उपकरणों को उतारना, स्थल के भीतर स्टोर और/या मध्यवर्ती स्थान और/या अंतिम स्थान पर ले जाना, मालिक के साथ उनके स्टोर दस्तावेजों में प्रविष्टि के लिए समन्वय करना, स्टोर निर्गम वाउचर जारी करना आदि भी शामिल होगा।"

समझौता आगे कंडिका (2) के माध्यम से प्रावधान करता है:

"ठेकेदार द्वारा 'बैगास हैंडलिंग सिस्टम पैकेज' का सफल और समय पर पूरा होना और अनुबंध-I, अनुबंध-II, अनुबंध-III और अनुबंध-IV के तहत उसका निष्पादन संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से 'अनुबंध' की शर्तों से बाध्य होगा और 'अनुबंध' के तहत सभी दायित्वों के निष्पादन के लिए बी.एस.ई.एस. के प्रति संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।"

समझौते की कंडिका (3) घोषित करती है:

"ठेकेदार इस बात से सहमत है कि यदि देरी के लिए परिनिर्धारित हर्जाना और/या निष्पादन गारंटियाँ, वारंटी/कारीगरी पर दावा, पंच सूचियाँ और ठेकेदार द्वारा अनुबंध के किसी भी उल्लंघन को चारों 'अनुबंधों' में से किसी के प्रावधानों के तहत लागू किया जाता है, तो यह स्वचालित रूप से समझा जाएगा कि वही प्रावधान एक साथ पढ़े जाने वाले सभी चार अनुबंधों पर लागू किए जा सकते हैं। बी.एस.ई.एस. को अनुबंधों को संयुक्त रूप से टर्नकी अनुबंध के रूप में मानने का अधिकार होगा और बी.एस.ई.एस. द्वारा पैसा वसूल किया जा सकता है, जिसमें 'अनुबंध' के अनुसार किसी भी प्रकृति के परिनिर्धारित हर्जाने, जुर्माने या शास्तियां शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और 'बैगास हैंडलिंग सिस्टम पैकेज' के लिए बी.एस.ई.एस. द्वारा कार्य पूरा करने से संबंधित कोई भी अतिरिक्त लागत और व्यय भी शामिल हैं।"¹⁰

कंडिका (4) और (5) स्पष्ट रूप से क्रमशः कहती हैं:

"किसी भी या सभी अनुबंधों के किसी भी सारवान उल्लंघन के मामले में, बी.एस.ई.एस. को सभी अनुबंधों की बैंक गारंटियों की प्रतिधारिता और भुनाने का अधिकार होगा।"

"अनुबंध के प्रावधानों के अधीन ठेकेदार के नामित उप-ठेकेदार (कों) द्वारा किए गए कार्यों के बावजूद, ठेकेदार टर्नकी आधार पर इस अनुबंध के तहत सभी दायित्वों और जिम्मेदारियों को निभाने, पूरा करने और निर्वहन करने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी रहेगा और वही किसी भी कारण से किसी भी तरह से कम या कम नहीं किया जाएगा।"

इस समझौते के सावधानीपूर्वक पाठन पर, हम संतुष्ट हैं कि अनुबंध, हालांकि सुविधा के लिए चार उप-अनुबंधों (अर्थात् चार कार्य/क्रय आदेशों) में विभाजित था, टर्नकी आधार पर निष्पादन योग्य एक संयुक्त अनुबंध था। इस टर्नकी अनुबंध की शर्तों को 10.5.2000 के "रैप-अराउंड समझौते" द्वारा लिखित रूप में लाया गया था। हमारा यह निश्चित मत है कि "रैप-अराउंड समझौते" के तहत, अपीलकर्ता को चार अनुबंधों की किसी भी शर्त के किसी भी उल्लंघन के लिए किसी भी या सभी गारंटियों को भुनाने का अधिकार था। अतः, हम श्री सोराबजी के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि पहली तीन बैंक गारंटियाँ केवल भुगतान किए गए अग्रिमों को सुरक्षित करने के लिए थीं और केवल चौथी बैंक गारंटी (23.3.2000 की संख्या 291/99) अनुबंध के निष्पादन में विफलता के लिए बुलाई जाने योग्य थी। वास्तव में, अनुबंध की शर्तों के मूल्यांकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बैंक गारंटियाँ दोनों उद्देश्यों के लिए अभिप्रेत थीं: प्रथम उत्तरदाता को भुगतान किए गए अग्रिमों को सुरक्षित करने के लिए और अनुबंध के उचित निष्पादन को सुरक्षित करने के लिए भी।

गारंटियों का नवीनीकरण

बैंक गारंटियों के वास्तविक उद्देश्य के बारे में हमारे निष्कर्ष प्रथम उत्तरदाता के आचरण के परीक्षण से पुष्ट होते हैं। वास्तव में, हमने श्री सोराबजी से बार-बार पूछा कि किन परिस्थितियों में और क्यों प्रथम उत्तरदाता ने कथित तौर पर अग्रिमों से संबंधित पहली तीन गारंटियों को जारी रखा, तब भी जब प्रथम उत्तरदाता को पता था कि अग्रिम राशि पूरी तरह से वसूल कर ली गई थी। श्री सोराबजी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक अतिरिक्त शपथ-पत्र प्रस्तुत करने हेतु कुछ समय माँगा, जो उनके अनुसार, इस न्यायालय द्वारा पहली बार उठाया गया था। प्रथम उत्तरदाता की ओर से दायर अतिरिक्त शपथ-पत्र (दिनांक 11.11.2005) में अग्रिमों की पूरी वसूली के बाद भी बैंक गारंटियों को जारी रखने के लिए दिया गया स्पष्टीकरण यह है कि:

"..... याचिकाकर्ता (अपीलकर्ता) बैंक गारंटियों के विस्तार पर जोर देता रहा है और उन्हें विस्तारित न करने पर भुनाने की धमकी दी थी.... इस प्रकार याचिकाकर्ता की बैंक गारंटियों को भुनाने की धमकी के तहत, और याचिकाकर्ता के साथ मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की आशा में, प्रथम उत्तरदाता ने बैंक गारंटियों को विस्तारित करने के लिए विवश महसूस किया।"¹¹

¹¹ देखें कंडिका 11 अतिरिक्त शपथपत्र जो प्रथम उत्तरदाता की ओर से दाखिल किया गया (दिनांक 11.11.2005)।

हमारी राय में, मामले की परिस्थितियों में यह एक असंतोषजनक स्पष्टीकरण है और किसी भी स्थिति में, यह स्पष्टीकरण न तो अपीलकर्ता द्वारा किसी "घोर धोखाधड़ी" को स्थापित करता है और न ही "अपूरणीय क्षति" की स्थिति पैदा करता है।

चौथी बैंक गारंटी

अंत में, श्री सोराबजी ने चौथी बैंक गारंटी (23.3.2000 की संख्या 291/99) में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया और तर्क दिया कि यह एकमात्र बैंक गारंटी थी जिसका उद्देश्य "अनुबंध के उचित और निष्ठापूर्ण निष्पादन" को सुरक्षित करना था। उन्होंने आगे आग्रह किया कि निष्पादन विधिवत रूप से संतुष्ट हो गया था और, इसलिए, इस बैंक गारंटी को बुलाने का कोई औचित्य नहीं था। श्री सोराबजी ने अनुबंध के उचित और संतोषजनक निष्पादन के तर्क के लिए मेसर्स गोदावरी शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र (दिनांक 18.3.2003) का सहारा लिया। हालाँकि, हम श्री सोराबजी के तर्क से प्रभावित नहीं हैं क्योंकि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य इसके बिल्कुल विपरीत हैं। वास्तव में, प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से कहता है कि एक तकनीकी दोष पाया गया था:

".... जिसके लिए फेनर प्रतिनिधि द्वारा सुधार किया जाएगा जैसा कि उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। उन सभी बिंदुओं के पूरा होने के बाद आगे के परीक्षण किए जा सकते हैं।"

तदनुसार, हम प्रथमदृष्टया संतुष्ट नहीं हैं कि निष्पादन को विधिवत और संतोषजनक ढंग से प्रमाणित किया गया था। "रैप-अराउंड समझौते" की शर्तों के तहत, अपीलकर्ता अनुबंधों में से किसी एक के तहत प्रथम उत्तरदाता के दायित्वों के उल्लंघन के लिए सभी या किसी भी बैंक गारंटी को भुनाने का हकदार था। हमारी राय में, अपीलकर्ता का मामला यह है कि अनुबंध का कोई संतोषजनक निष्पादन नहीं हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता संबंधित बैंक गारंटी को भुनाने में न्यायोचित था। वास्तव में, बैंक गारंटी की शर्तों के अनुसार, अपीलकर्ता यह तय करने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश है कि बैंक गारंटियों को कब और किस कारण से भुनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह द्वितीय उत्तरदाता-बैंक का, और न ही इस न्यायालय का कार्य है कि वह यह जांच करे कि क्या उचित निष्पादन वास्तव में हुआ था, जब गारंटी की शर्तों के तहत, द्वितीय उत्तरदाता-बैंक भुगतान करने के लिए बाध्य था जब गारंटी बुलाई गई थी, चाहे अपीलकर्ता और प्रथम उत्तरदाता के बीच कोई भी संविदात्मक विवाद हो। वास्तव में, समान परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने जनरल

इलेक्ट्रिक टेक्निकल सर्विसेज कंपनी इंक बनाम पुंज संस (पी) लिमिटेड¹² में अभिनिर्धारित किया:

"... बैंक को न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना बैंक गारंटी का सम्मान करना चाहिए। अन्यथा, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में विश्वास अपूरणीय रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। केवल असाधारण मामलों में, अर्थात धोखाधड़ी के मामले में या अपूरणीय अन्याय के मामले में, न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। जिस धोखाधड़ी की बात न्यायालय करते हैं, वह 'घोर प्रकृति की धोखाधड़ी है जो पूरे अंतर्निहित संव्यवहार को दूषित कर देती है'। यह हितग्राही की धोखाधड़ी है, किसी और की धोखाधड़ी नहीं।"¹³

यह भी एक ऐसा मामला था जहाँ, चालू बिलों से निश्चित राशि वसूल करने के बाद, पूरी गारंटीकृत राशि के संबंध में बैंक गारंटी पर आह्वान किया गया था। वर्तमान मामले के लिए प्रत्यक्ष प्रासंगिकता वाली एक टिप्पणी में, इस न्यायालय ने बताया कि बैंक का चालू बिलों के तहत देय बकाया राशि से कोई सरोकार नहीं था:

"चालू बिलों के तहत राशि वसूल करने के अधिकार का गारंटी के तहत बैंक के दायित्व से कोई संबंध नहीं है। बैंक का दायित्व मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली या चालू बिलों के तहत भुगतान न होने के बावजूद बरकरार रहा। बैंक गारंटी भुनाने के पत्र में शेष मोबिलाइजेशन अग्रिम को निर्दिष्ट करने में (हितग्राही की) विफलता का गारंटी के तहत बैंक के दायित्व पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।"¹⁴

अपूरणीय क्षति

जैसा कि हमने बार-बार कहा है, प्रथम उत्तरदाता केवल तभी सफल हो सकता है जब मामले को हस्तक्षेप के विरुद्ध सामान्य नियम के दो स्वीकृत अपवादों के तहत लाया जा सके। स्पष्ट रूप से यहाँ कोई "घोर धोखाधड़ी" नहीं है जिससे पहले अपवाद के अंतर्गत आया जा सके। अतः, केवल एक और बिंदु शेष रहता है: क्या गारंटियों को भुनाने से प्रथम उत्तरदाता के पक्ष में विशेष साम्य (विशेष रूप से "अपूरणीय क्षति") उत्पन्न होगा? हम तथ्यों के आधार पर संतुष्ट नहीं हैं कि वर्तमान स्थिति ऐसी है।

12 (1991) 4 एस सी सी 230

13 यथोपरि पृष्ठ 237 पर (कंडिका 9) माननीय न्यायमूर्ति के. जगन्नाथ शेट्टी द्वारा। यह भी देखें, यू.पी. को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड बनाम सिंह कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स (पी) लिमिटेड, *** (1998) 1 एस सी सी 189*** पृष्ठ 189 पर (कंडिका 28)

14 यथोपरि, पृष्ठ 238 पर (कंडिका) 10, माननीय न्यायमूर्ति के. जगन्नाथ शेट्टी द्वारा।

इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मध्यस्थता कार्यवाही लंबित है। वास्तव में, हमें दिखाया गया था कि मध्यस्थता के लिए भेजे गए विवादों में से एक यह है कि क्या बैंक गारंटियाँ शून्य और प्रभावीहीन हैं। इसके अलावा, प्रथम उत्तरदाता की ओर से मध्यस्थता में की गई सारवान प्रार्थनाओं में से एक यह है कि चार बैंक गारंटियों को अप्रवर्तनीय, अवैध, शून्य और उन्मोचित किए जाने योग्य घोषित करते हुए पंचाट दिया जाए। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता को बैंक गारंटियों को भुनाने से रोकने के लिए स्थायी व्यादेश की भी प्रार्थना की गई है। इसलिए, चूंकि यह प्रार्थना पहले से ही मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष लंबित है, इसलिए हमें "अपूरणीय अन्याय" की कोई स्थिति नहीं दिखती है यदि वर्तमान समय में अपीलकर्ता को बैंक गारंटियों को भुनाने की अनुमति दी जाती है। क्योंकि प्रथम उत्तरदाता को हमेशा न्याय प्रदान किया जा सकता है यदि वह मध्यस्थों के समक्ष सफल होता है। न ही हम प्रथम उत्तरदाता के पक्ष में कोई विशेष साम्य देखते हैं, जब वास्तव में इस बात पर विवाद है कि निष्पादन *प्रथमदृष्ट्या* संतोषजनक नहीं था, जिसने अपीलकर्ता को चारों बैंक गारंटियों में से सभी या किसी को भी भुनाने में सक्षम बनाया।

अंतिम निष्कर्ष

मामले के इस दृष्टिकोण से, हमें प्रथम उत्तरदाता द्वारा लिए गए पक्ष में कोई गुणागुण नहीं दिखता। हमारे निर्णय में, मद्रास उच्च न्यायालय ने बैंक गारंटियों में हस्तक्षेप करने और मांगे गए व्यादेश को प्रदान करने में त्रुटि की है। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और विद्वान जिला न्यायाधीश, मदुरै के निर्णय की पुष्टि की जाती है, सिवाय गारंटियों को भुनाने पर निर्देशित *यथास्थिति* बनाए रखने के। यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलकर्ता बैंक गारंटियों को भुनाने का हकदार है और द्वितीय उत्तरदाता-बैंक अपनी गारंटियों का सम्मान करने के लिए स्वतंत्र होगा, जो मध्यस्थता कार्यवाही में समायोजन के अधीन होगा।

तदनुसार अपील 20,000/- रुपये की निर्धारित लागत के साथ अनुज्ञात की जाती है।

बी.एस.

अपील अनुज्ञात की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक,

कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।